



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-26/2018-1202 दिनांक :- 25/9/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
दुमका वन प्रमण्डल ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य हेतु **रु0 111.423 (एक करोड़ ग्यारह लाख बयालीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

इस कार्यालय का उप-आवंटन पत्रांक-1153 दिनांक-11.09.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 111.423 (एक करोड़ ग्यारह लाख बयालीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र का अतिरिक्त उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड         | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S240601796400103 | 103.688        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601796400323 | 7.735          |
| कुल :-              |                    | 111.423        |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. सभी शर्त/शीर्ष प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत उप-आवंटन के अनुरूप रहेंगे।

4.

यह राशि पूर्व उप-आवंटित की गई राशि के अतिरिक्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-26/2018-1202 दिनांक-25/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-26/2018-1202 दिनांक-25/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्र० सं० | वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे०) | 2018-19 (अग्रिम कार्य) |                     |          |
|----------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|
|          |                    |                    | मजदूरी                 | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल      |
|          |                    |                    | 22788.48               | 1700.00             | 24488.48 |
| 1        | दुमका वन प्रमण्डल  | 455                | 103.688                | 7.735               | 111.423  |
| योग:-    |                    | 455                | 103.688                | 7.735               | 111.423  |

प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,  
झाबखण्ड, राँची

“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 237.38 रु०

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हे०)

(राशि रुपये में)

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी                                                                                                          | मानव दिवस | मजदूरी   | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि | अभ्युक्ति                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i        | ii                                                                                                                       | iii       | iv       | v                   | vi       | vii                                                                                                       |
| A        | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38                                |           |          |                     |          |                                                                                                           |
| 1        | सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग                                                                                       | 3         | 712.14   | 0.00                | 712.14   |                                                                                                           |
| 2        | बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हे० की मानक संख्या से) | 40        | 9495.20  | 200.00              | 9695.20  | बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।                 |
| 3        | वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बाँसों को हटाना          | 10        | 2373.80  | 0.00                | 2373.80  |                                                                                                           |
| 4        | बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना                                       | 20        | 4747.60  | 1500.00             | 6247.60  | एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा                                                           |
| 5        | राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना             | 20        | 4747.60  | 0.00                | 4747.60  | एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा                                                           |
| 6        | सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)                                                                              | 3         | 712.14   | 0.00                | 712.14   | सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हे० से कम है। |
|          | कुल                                                                                                                      | 96        | 22788.48 | 1700.00             | 24488.48 |                                                                                                           |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

| क्र० सं०     | वन प्रमंडल का नाम | वन प्रक्षेत्र का नाम              | प्रखण्ड का नाम | PF/RF का नाम | स्थल का नाम | थाना / थाना सं० | जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट | प्लॉट नंबर       | क्षेत्रफल (हे० में) |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| i            | ii                | iii                               | iv             | v            | vi          | vii             | viii                  | ix               | x                   |
| दुमका रीजन:- |                   |                                   |                |              |             |                 |                       |                  |                     |
| 1            | दुमका वन प्रमंडल  | दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड | काठीकुण्ड      |              | हिल ब्लॉक   | काठीकुण्ड       |                       | आर०एफ० हिल ब्लॉक | 455                 |
| योग:-        |                   |                                   |                |              |             |                 |                       |                  | 455                 |

प्रधान मुख्य जनसंसाधक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-26/2018/1202

दिनांक - 25-Sep-2

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                                                                                               | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                      | आवंटित राशि                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1       | S 19 240601796400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना<br>40 -<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA              | 58218     | DMKFOR010<br>ABHISHEK KUMAR<br>D.F.O.DUMKA | 10,368,800.00<br>रुपये एक करोड तीन लाख अडसठ हजार आठ सौ |
| 2       | S 19 240601796400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना<br>40 -<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA | 58221     | DMKFOR010<br>ABHISHEK KUMAR<br>D.F.O.DUMKA | 773,500.00<br>रुपये सात लाख तीहत्तर हजार पाँच सौ       |

योग:

11,142,300.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड ग्यारह लाख बयालीस हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.BADHARWANA(S) RANCHI